5 COURT FEE INDIA भारत पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र. क. : /2007 पुनरावलोकन रिव्यू 1610-II/07

भगवत प्रसाद पुत्र प्रभुलाल
निवासी – बीनागंज तहसील चाचौडा
जिला – गुना म0प्र0

.... प्रार्थी

बनाम

1. सावित्रीबाई पत्नी भूपेन्द्र सिंह
   निवासी बीनागंज
2. विशनसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद
   निवासी – बीनागंज
3. हुकुमचन्द्र पुत्र हीरालाल कोरी
   निवासी – खतौली तहसील चाचौडा
   जिला – गुना म0प्र0

.... प्रतिप्रार्थी गण

O.P. Sharma Adv.
21.09.07

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र विरूद्व आदेश दिनांक 21.8.2007 पारित प्र0क0 आर–1355–दो/2007 (द्वारा श्रीमान अरूण तिवारी, सदस्य राजस्व मण्डल) अन्तर्गत धारा 51 एवं धारा–8, 32,रे. को.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1610–दो/07 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–5–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1355–दो/07 में पारित आदेश दिनांक 21–8–07 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है । आवेदक की ओर से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया है । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत आपत्तियों का निराकरण किया जाकर ही आदेश पारित किया गया है, अतः समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस पुनर्विलोकन में नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय श्री एस. आर. धॉकड प्र0 क0 48/09–10 अ–6 व उन्मान मु0 काशीवाई वनाम सरमनिया आदि में पारित आदेश दिनांक--09.04.2012